



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण 1942 (श0)

(सं0 पटना 934) पटना, सोमवार, 7 दिसम्बर 2020

शिक्षा विभाग

v/f/k l puk

20 अगस्त 2020

सं० 11/ नियमा-01-01/2020-1111— भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 ब (12वीं अनुसूची) तथा बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा-45, 47 (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा शहरी क्षेत्र के राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधान अध्यापक/पुस्तकालयाध्यक्ष के नियुक्ति/प्रोन्नति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

1- iLrkouk A&_राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार तथा सुदृढीकरण के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। इस हेतु संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के आलोक में सरकार ने वर्ष 2006 में यह निर्णय लिया कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाय। इस क्रम में शहरी क्षेत्र के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के नियुक्ति/प्रोन्नति की जिम्मेवारी नगर निकाय को सौंपी गई। शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं सेवाशर्त आदि में सुधार के उद्देश्य से यह नियमावली बनायी जा रही है।

2- l f{kIr uke] foLrkj ,o ikjEHk %&

(क) यह नियमावली "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020" कही जायेगी।

(ख) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ग) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

- 3- *ifjHkk"kk, %& bl fu;ekoyh e t c r d fo"k; ;k lnHk d fo:) dkb ckr u gk &*
- (i) *blj d kj* से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ;
 - (ii) *bi'kk lh foHkkx* से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग ;
 - (iii) *bek;/fed fo|ky;B* से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जिसमें, कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है ;
 - (iv) *bmPp ek;/fed fo|ky;B* से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा-12 तक की पढ़ाई होती है ;
 - (v) ***uxj fudk,*** से अभिप्रेत है, शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन गठित स्वशासी संस्था-नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत ;
 - (vi) *blox* से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन नगर निकाय क्षेत्राधीन नियुक्त होने वाले शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक का संवर्ग;
 - (vii) *bfu;fDr ikf/kdkj* से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन पैनल निर्माण हेतु गठित होने वाली समिति, जो शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधान अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति करने हेतु सक्षम हो ;
 - (viii) *bv'u'kk lfud ikf/kdkj* से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति करने हेतु गठित समिति, जो इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु सक्षम हो ;
 - (ix) *vi hyh; ikf/kdkj*** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत/अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत प्रधान अध्यापक/ शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने हेतु जिला स्तर पर गठित "जिला अपीलीय प्राधिकार" एवं जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्णय पर अपील सुनने हेतु राज्य स्तर पर गठित "राज्य अपीलीय प्राधिकार" ;
 - (x) *bf'k{k d B* से अभिप्रेत है -
4d इस नियमावली के अधीन कक्षा 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त नगर माध्यमिक शिक्षक ;
4[k इस नियमावली के अधीन कक्षा 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक ;
 - (xi) *biLrdky;k/;k* से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अवस्थित पुस्तकालय की व्यवस्था एवं पुस्तकों के रख रखाव के लिए नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष ;
 - (xii) *bi/kku v;/ki d B* से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त प्रधान अध्यापक ;
 - (xiii) *bf'k{k d U kj de h B* से अभिप्रेत है ।-बिहार सरकार द्वारा विहित प्रावधानों के अधीन नगर निकाय द्वारा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले कर्मी, जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;
 - (xiv) *bf'o'fo|ky;b* से अभिप्रेत है, परिनियत (स्टैच्यूटरी) से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ;
 - (xv) "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को विनियमित करने वाली परिषद् ;
 - (xvi) *bf'k{k d ik=rk ijh{k k B* से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से नियुक्त होने वाले शिक्षक के पद से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा ;
 - (xvii) *biLrdky;k/;k ik=rk ijh{k k B* से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से नियुक्त होने वाले पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा ;
 - (xviii) *bf'k{k d if'k{k. k B* से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम, 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की डिग्री अथवा वैसे राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश जहाँ NCTE अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड०/ बी०ए०एड०/ बी०एससी०एड० की डिग्री ;

4. *lox| dk xBuA&*
uxj fudk; vUrx|r fu;Dr f'k{kdk d| lox| dk xBu fuEuor fd;k tkrk g| %&
 (i) नगर माध्यमिक शिक्षक ;
 (ii) नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक ;
 (iii) प्रधान अध्यापक ;
- 5- *uxj ek;/fed f'k{kdk d| lHkh in lh/kh fu;fDr l| Hkj| tk,ixA*
uxj ek;/fed f'k{kdk d| in ij fu;fDr gr| vko';d vgrk fuEuor gkxh %&
 (i) भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों।
 (ii)(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय/ विषय समूह के साथ स्नातक/ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/ महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड /मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री के डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा। साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय— सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम) तथा (10.12.2007 को अधिसूचित) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री के डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की चार वर्षीय डिग्री।

- (ख) *'kkjhfd f'k{kk f'k{kdk d| in d| fy, vgrk*।— एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलेटिक्स में सहभागिता। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेलों अथवा ऐथलेटिक्स में सहभागिता। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक/ कोच) – 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/ महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007) को अधिसूचित के अनुसार एन0सी0सी0 'सी' प्रमाण पत्र पास किया हो।

अथवा

शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात् बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स में राज्य/ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर-कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/एन0सी0सी0 'सी' प्रमाण पत्र का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कौचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक।

तथा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी0पी0एड0) अथवा इसके समतुल्य।

(ग) $vkfj, Vy f'k\{kd d fy, vgrk :-$

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/समिति से संस्कृत/ फारसी/अरबी में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा स्नातक स्तर की समतुल्य डिग्री। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/ महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(ii) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से शिक्षा में स्नातक (बी०एड० की डिग्री)

(घ) $lxhr@yfy dyk f'k\{kd fy, vgrk A\&$ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत/ललित कला विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक-डिग्री अथवा उसके समकक्ष अर्हता। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(iii) बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण।

- (iv) vk; A&नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विहित की जाय। साथ ही, अधिकतम आयु में अन्य कोई भी छूट सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति प्राप्त कर प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

6- uxj iLrdky;k/;{k d lHkh in lh/kh fu;fDr l Hkj tk,ixA
uxj iLrdky;k/;{k d fy, vko';d vgrk fuEuor gkxh %&

- (i) भारत का नागरिक हों तथा बिहार राज्य के निवासी हों।
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक की डिग्री हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/ महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री के डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

- (iii) मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री।
(iv) बिहार सरकार द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण।
(v) vk; A&नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को पुस्तकालयाध्यक्ष के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विहित की जाय। साथ ही, अधिकतम आयु में अन्य कोई भी छूट सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त कर प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

7- uxj mPp ek;/fed f'k'kd d 50 ifr'kr in ikUufr l Hkj tk,ix] tcf d 'k'k 50
ifr'kr in lh/kh fu;fDr l Hkj tk,ixA

- (1) uxj mPp ek;/fed f'k'kd d in ij lh/kh Hkrh l fu;fDr gr vko';d vgrk fuEuor gkxh %&

- (i) भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों।
(ii)(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जायेगा। साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान के शिक्षा में स्नातक (बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०)।

अथवा

(13.11.2002 को अधिसूचित) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जायेगा। साथ ही, मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०।

- (ख) कम्प्यूटर विषय एवं संगीत विषय के शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर/समतुल्य योग्यता अनिवार्य होगी। इन पदों पर नियुक्ति हेतु बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की डिग्री की अनिवार्यता नहीं होगी।
- (ग) कृषि विषय का शिक्षक :- राज्य के चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालयों (11 एवं 12 के छात्रों के लिए) में कृषि विषय के पद सृजित है। इस पद पर नियुक्ति के लिए कृषि/उद्यान में स्नातक तथा Agronomy/Plant Breeding & Genetics/Entomology/Plant Pathology/Seed Science & Technology/Soil Science/Horticulture में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हक योग्यता धारित करना आवश्यक होगा। इस पद पर नियुक्ति हेतु बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की डिग्री की अनिवार्यता नहीं होगी।
- (iii) बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण।
- (iv) $v_k; A$ नियुक्ति वर्ष के पहली अगस्त को उच्च माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विहित की जाय। साथ ही, अधिकतम आयु में अन्य कोई भी छूट सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
- (2) $uxj mPp ek; fed f'k\{kd d 50 ifr'kr in tk ikUufr l: Hkj: tk,ix] l: lcf/kr vko'; d vgrk fuEuor gkxh \%&$
- (i) नगर माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता (बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०) प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 04 वर्ष की लगातार सेवा हो।
- (ii) जिस विषय समूह से स्नातक किया हो, उसी विषय समूह के किसी विषय से न्यूनतम कुल 45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग एवं महिला के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- (iii) मूल्यांकन (दक्षता जॉच)/शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों।
- (iv) प्रोन्नति वर्ष के 03 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र।
- 8- $i/kku v/;kid d lHkh in ikUufr l: Hkj: tk,ixA bl gr vko'; d vgrk fuEuor gkxh \%&$
- (i) नगर माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता (बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०) प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा हो,
- अथवा
- नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता (बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०) प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 06 वर्ष की लगातार सेवा हो।
- (ii) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग एवं महिला के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- (iii) मूल्यांकन (दक्षता जॉच)/शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों।
- (iv) प्रोन्नति वर्ष के 03 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र।
- 9- $vkj\{k.k \%&$
- (i) राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान नगर निकाय अन्तर्गत होने वाले सीधी नियुक्ति पर भी प्रभावी होगा। इसी प्रकार, राज्य सरकार के अधीन प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान नगर निकाय अन्तर्गत होने वाले प्रोन्नति पर भी प्रभावी होगा।
- (ii)(क) नगर माध्यमिक/नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक का नियुक्ति जिलास्तर पर विषयवार आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।
- (ख) नगर पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) नगर माध्यमिक शिक्षक/नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं नगर पुस्तकालयाध्यक्ष का आरक्षण-समाशोधन से संबंधित कार्य क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा किया जायेगा।

- (iv) इसी प्रकार प्रोन्नति के पद से संबंधित आरक्षण को लागू करने हेतु यथा निर्देशित रोस्टर बिन्दु (आरक्षण) के समाशोधन से संबंधित कार्य क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा किया जायेगा।
- 10- *fu;fDr dh if0;k %&*
- (i) राज्य सरकार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से नगर माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु पदों की संख्या संसूचित की जायेगी।
- (ii) सरकार द्वारा, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्रमशः नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के विषयवार, आरक्षण-कोटिवार एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के, आरक्षण-कोटिवार रिक्त पदों की सूचना का प्रकाशन संबंधित निकाय के सदस्य-सचिव द्वारा पूरे जिला में कम से कम 30 (तीस) दिनों के लिए किया जायेगा। सूचना की एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
- (iii) निर्धारित न्यूनतम अर्हताधारित अभ्यर्थियों के द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के सदस्य-सचिव के कार्यालय में हाथों-हाथ या स्पीड-पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से दिए जायेंगे।
- (iv) नगर माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। पैनल विषयवार होगा, जिसकी वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। मेधा अंक की गणना निम्नरूपेण की जाएगी :-

मेधा अंक :	स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत	+	बी०एड० स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत
	2		

जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बी०एड० होना आवश्यक नहीं है, उनके संदर्भ में स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेधा अंक होगा। साथ ही, बी०एड०/बी०एससी०/बी०एससी०एड० योग्यताधारियों के लिए बी०एड०/बी०एससी०एड० स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत ही उनका मेधा अंक होगा।

भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा। इसी प्रकार, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि तक कार्य करने वाले अभ्यर्थीगण को मेधा अंक में 05 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा।

मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण किया जायेगा।

- (v) नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। पैनल विषयवार होगा, जिसकी वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा। मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। मेधा अंक की गणना निम्नरूपेण की जाएगी :-

मेधा अंक :	स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत	+	बी०एड०/बी०एससी०/बी०एससी०एड० स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत
	2		

जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बी०एड० होना आवश्यक नहीं है, उनके संदर्भ में स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेधा अंक होगा।

साथ ही, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा। इसी प्रकार, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि तक कार्य करने वाले अभ्यर्थीगण को मेधा अंक में 05 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा।

मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण किया जाएगा।

- (vi) नगर पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। पैनल की वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। मेधा अंक की गणना निम्नरूपेण की जाएगी:—

मेधा अंक :	स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत	+	बी०लिब० (B.Lib) स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत
	2		

भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा।

मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण किया जाएगा।

- (vii) *i'uy fuek.k gr lfevr dk xBu A&* प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर पैनल का निर्माण निम्नलिखित समिति के द्वारा किया जायेगा :—

क	मुख्य पार्षद नगर पंचायत/नगर परिषद	— अध्यक्ष
ख	नगर पंचायत/नगर परिषद की शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य (पुरुष अध्यक्ष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी)	— सदस्य
ग	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत/नगर परिषद	— सदस्य सचिव
घ	संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी	— सदस्य

उपर्युक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हो, तो जिला पदाधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी पदाधिकारी को नामित करेंगे।

नगर पंचायत/नगर परिषद का शिक्षा समिति द्वारा चयनित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

fVi.kh %& नगर पंचायत/नगर परिषद का शिक्षा समिति गठित नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी सदस्य होंगे।

uxj fuxe d fy, lfevr %&

क	नगर निगम का महापौर	—अध्यक्ष
ख	नगर निगम की शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य (पुरुष अध्यक्ष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी)	—सदस्य
ग	नगर निगम के नगर आयुक्त	—सदस्य सचिव
घ	संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी	—सदस्य

उपर्युक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हो, तो जिला पदाधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी पदाधिकारी को नामित करेंगे।

नगर निगम के शिक्षा समिति द्वारा चयनित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

fVi.kh %& नगर निगम का शिक्षा समिति गठित नहीं होने की स्थिति में संबंधित नगर आयुक्त द्वारा मनोनीत एक जिला स्तरीय पदाधिकारी सदस्य होंगे।

- (viii) पैनल निर्माण समिति के सचिव एवं संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से पैनल तैयार की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ, पैनल निर्माण समिति के सचिव उत्तरदायी होंगे। पैनल निर्माण समिति के सचिव मेधा सूची की तैयारी हेतु स्थान एवं तिथि आदि नियत करेंगे और सदस्यों से आवश्यक सहयोग लेंगे। पैनल के प्रत्येक पेज पर उक्त दोनों सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। सदस्य सचिव के द्वारा पैनल निर्माण समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर उसे औपबंधिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा। महापौर/मुख्य पार्षद का पद रिक्त रहने अथवा महापौर/मुख्य पार्षद को मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में उप महापौर/उप मुख्य पार्षद, जो संबंधित नगर निकाय के महापौर/मुख्य पार्षद के प्रभार में रहेंगे, से अनुमोदन प्राप्त कर पैनल को औपबंधिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।
- (ix) औपबंधिक पैनल पर किसी प्रकार के आपत्ति देने के लिए पन्द्रह (15) दिनों का समय दिया जायेगा। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर पैनल को अंतिम रूप दिया जायेगा। पैनल निर्माण समिति द्वारा उक्त पैनल को बहुमत के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा। महापौर/मुख्य पार्षद का पद रिक्त रहने अथवा महापौर/मुख्य पार्षद को मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में उप महापौर/उप मुख्य पार्षद, जो संबंधित नगर निकाय के महापौर/मुख्य पार्षद के प्रभार में रहेंगे, के द्वारा पैनल निर्माण समिति की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।
- (x) अंतिम रूप से अनुमोदित पैनल एवं रोस्टर बिन्दु के आधार पर चयन सूची का निर्माण सदस्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। चयन सूची में कोटिवार अधिकतम 05 गुणा अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है। चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए नियत तिथि, समय एवं स्थान पर बुलाया जायेगा। चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को Merit-cum-choice के आधार पर उपलब्ध रिक्त पदों के अनुरूप विद्यालय का आवंटन परामर्श (काउन्सिलिंग) के माध्यम से किया जायेगा। इसमें दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों से नियुक्ति हेतु सहमति प्राप्त की जायेगी। अभ्यर्थी की असूचित अनुपस्थिति की दशा में उनके नियुक्ति का दावा स्वतः समाप्त समझा जाएगा।
- (xi) प्रकाशित विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थी को पैनल निर्माण समिति से अनुमोदन प्राप्त कर सदस्य सचिव के द्वारा नियुक्ति पत्र (अभ्यर्थी का फोटोग्राफ युक्त) निर्गत किया जायेगा। अभ्यर्थी को समय पर नियुक्ति पत्र मिल सके, इसके लिए प्रशासी विभाग के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा। नियुक्ति पत्र निर्गत होने के तिथि से 21 दिनों के अन्तर्गत संबंधित अभ्यर्थियों को विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनके नियुक्ति को निरस्त किया जा सकेगा। सदस्य सचिव के द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला अपीलीय प्राधिकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (xii) संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, संबंधित नियोजन इकाई से नियुक्ति पत्र को सत्यापित कराने के बाद ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- (xiii) योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों को असेनिक शल्य चिकित्सक –सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं संबंधित जिला के सक्षम पुलिस पदाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र/पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
- (xiv) प्रकाशित रिक्ति के अनुरूप नियुक्ति नहीं होने के स्थिति में पैनल के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर देने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।
- (xv) नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा वेब पोर्टल (सॉफ्टवेयर) बनवाकर नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकेगा।

11- iek.k i=k dh tkp A&नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय का यह दायित्व होगा कि वे शैक्षणिक/प्रशिक्षण या योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्र की यथा आवश्यक जाँच करा लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत जाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली कर अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12- Lok l c/kh "kYk %&

- (i) प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियुक्त रह सकेंगे।
- (ii) नियुक्ति के बाद प्रथम 02 वर्ष की अवधि परीक्ष्यमान अवधि होगी। इस अवधि में निर्धारित आचरण संहिता का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में स्पष्टीकरण का मात्र एक अवसर प्रदान करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित की सेवा समाप्त की जा सकती है।
- (iii) क्रमशः नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत द्वारा प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को वेतनादि के भुगतान हेतु सक्षम होने तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जायेगी।
- (iv) प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष "Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952" में सन्निहित ई0पी0एफ0 योजना से prospective रूप से आच्छादित होंगे। इनकी मासिक परिलब्धियाँ अन्तर्गत 15000 रुपये प्रति माह के वेतन की राशि पर राज्य सरकार द्वारा अंशदान हेतु अनुदान की राशि दी जाएगी।
- (v) प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को समय-समय पर निर्धारित वेतन (वेतनवृद्धि सहित) एवं अन्य भत्ता देय होगा। जो शिक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पूर्व के नियमावली अन्तर्गत विहित मूल्यांकन (दक्षता जाँच) में उत्तीर्ण होने के उपरांत ही देय होगा। इस प्रकार वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा मूल्यांकन (दक्षता जाँच) उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान की राशि का आवंटन प्रशासी विभाग द्वारा विहित प्रक्रियान्तर्गत किया जाएगा।
- (vi) प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप शिक्षकों की आपसी वरीयता का निर्धारण आवश्यकतानुसार संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा किया जाएगा।
- (vii) Lok dh fujrjrA&पूर्व से कार्यरत माध्यमिक शिक्षक का अपने नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति होने की स्थिति में सेवा निरन्तरता का लाभ देते हुए मात्र वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा। यह लाभ इस नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर ही प्रभावी होगा। इस क्रम में प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

13- ch0,MO dk if'kfk.k iklr dju gr lorfud vodk'k ।- इस नियमावली के अधिसूचित होने के पूर्व नगर निकाय अन्तर्गत कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को बी0एड0 का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से मात्र 02 वर्ष तक के लिए सवैतनिक अवकाश देय होगा। साथ ही, अप्रशिक्षित शिक्षक, जो शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रशैक्षणिक संस्थान में बी०एड० प्रशिक्षु के रूप में नामांकित हैं, को भी सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यह अवकाश संबंधित नगर निकाय के सदस्य सचिव के द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाएगा कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम पाँच वर्षों तक शिक्षण का कार्य करेंगे। विनिश्चित अवधि के पूर्ण होने के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में, प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतनादि की राशि उसे सरकार के कोषागार में जमा करनी होगी। संबंधित शिक्षक को इस आशय का बॉन्ड देना आवश्यक होगा। यह राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।

14- ikUufr ।- नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु पैनल का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु नियुक्ति के लिए गठित समिति सक्षम प्राधिकार होगा। प्रशासी विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

15- vudEik d vk/kkj ij fu;fDr A&माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा जिला/प्रमण्डल/राज्य संवर्ग में पूर्व से कार्यरत शिक्षक/प्रधानाध्यापक/लिपिक/आदेशपाल, नगर निकाय अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष एवं इस नियमावली के आलोक में नियुक्त/प्रोन्नत होने वाले माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों, प्रधान अध्यापक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके एक अर्हताधारी आश्रित को संबंधित नगर निकाय क्षेत्राधीन प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित नियोजन इकाई द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित आश्रित को सहमति देना आवश्यक होगा। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रावधानों के अनुरूप, नियोजन समिति के द्वारा किया जा सकेगा। इसके इतर भी अनुकम्पा पर नियुक्ति की व्यवस्था प्रशासी विभाग द्वारा संकल्प निर्गत कर किया जा सकता है।

16- LFkkukUrrj.k A&प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष का पद सामान्यतः अस्थानान्तरणीय होगा। परन्तु इसमें निम्न अपवाद होंगे :-

- (i) प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को अपनी सेवा काल में तीन वर्षों के उपरांत नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन विद्यालयों में अपने ही संवर्ग/विषय के शिक्षक के पद पर

अधिकतम दो ऐच्छिक स्थानान्तरण लेने की सुविधा रहेगी। उक्त दो ऐच्छिक स्थानान्तरण के बीच न्यूनतम 05 वर्षों का अंतराल आवश्यक होगा। यदि किसी विद्यालय के एक रिक्त पद हेतु एक से अधिक स्थानान्तरण के आवेदन प्राप्त होते हैं, तो क्रमशः दिव्यांग प्रधान अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, शिक्षक एवं महिला प्रधान अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, शिक्षक को प्राथमिकता देते हुए आपसी वरीयता के आधार पर स्थानान्तरण की कार्यवाई संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा की जायेगी। इस कार्यवाई की सम्पुष्टि नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

- (ii) विषय विसंगति के निराकरण एवं शिक्षक के मानक अनुपात को युक्तिसंगत करने हेतु शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक का समायोजन नियोजन इकाई अन्तर्गत किसी अन्य विद्यालय में संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा की जायेगी। इस कार्यवाई की सम्पुष्टि नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।
- (iii) वित्तीय अनियमितता, नैतिक अधमता (moral turpitude) अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में प्रधान अध्यापक/शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष का प्रशासनिक दृष्टिकोण से एकबार स्थानान्तरण संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यवाई की सम्पुष्टि नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।
- (iv) दिव्यांग शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका/पुस्तकालयाध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानान्तरण की सुविधा होगी। साथ ही, पुरुष शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा होगी। इस हेतु आरक्षण कोटि, वरीयता आदि को ध्यान में रखकर प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

17- *lok ifLr dk l/kkj.k A&* माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा पुस्तिक के संधारण हेतु प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

18- *vodk'k %&*

- (1) नगर माध्यमिक शिक्षक/नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक, नगर पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधान अध्यापक को निम्न अवकाश देय होगा :-
 - (i) *vkdfLed vodk'k A&* एक कैलेण्डर वर्ष में 16 (सोलह) दिनों का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। यह अवकाश एक साथ (अन्य अवकाश सहित) 10 (दस) दिनों से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकेगा।
 - (ii) *fo'k"l vodk'k A&* महिला प्रधान अध्यापक/शिक्षिकाओं/पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष अवकाश अनुमान्य होगा।
 - (iii) *ekrRo vodk'k A&* महिला प्रधान अध्यापक/ शिक्षिका/पुस्तकालयाध्यक्ष 180 दिनों की मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए ही होगा।
 - (iv) *firRo vodk'k A&* पुरुष प्रधान अध्यापक/शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार होंगे। पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए ही होगा।
 - (v) *fpfdRlk vodk'k A&* एक कैलेण्डर वर्ष में 20 (बीस) दिनों का चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा। पूरी सेवा अवधि में कुल 120 दिनों तक ही चिकित्सा अवकाश संचित होगा। किसी भी एक कैलेण्डर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया जा सकेगा। इसे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व या पश्चात् जोड़ा जा सकेगा।
 - (vi) *vftl'r vodk'k A&* शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रथम दो वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रत्येक वर्ष में ग्यारह (11) दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिनों तक संचित होगा। 120 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश स्वतः समाप्त हो जायेगा। प्रधान अध्यापक को भी यह अवकाश देय होगा।

- (vii) *v/; ; u vodk'k A&* शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम तीन वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश अनुमान्य होगा। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा।

यह अवकाश योगदान के 03 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत ही देय होगा। साथ ही, अध्ययन अवकाश उपभोग करने के उपरांत संबंधित शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष को एक नियत अवधि तक कार्य करना आवश्यक होगा। प्रधान अध्यापक को भी यह अवकाश देय होगा।

इस हेतु प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

- (viii) *v l k/kj.k vodk'k A&* उपर्युक्त अवकाशों के अतिरिक्त, किसी कारणवश एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक "असाधारण अवकाश" अनुमान्य होगा। इसके कारण सेवा में टूट नहीं माना जायेगा। तत्पश्चात अनुपस्थित की अवधि को सेवा में टूट माना जायेगा तथा वेतन देय नहीं होगा। अधिकतम 05 वर्ष तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में सेवा समाप्त हो जाएगी। इस हेतु संबंधित को एक स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें सेवा से मुक्त करने की कार्यवाही नियम-10(vii) के तहत गठित समिति के द्वारा की जा सकेगी।

- (2) *vodk'k dh Lohdfr* |— आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति संबंधित प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा दी जायेगी। आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा दी जायेगी। इस संवर्ग के प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति भी संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा दी जायेगी। प्रधान अध्यापक/शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा-पुस्तिक के साथ उनके अवकाश-लेखा का भी संधारण सम्यक रूप से किया जायेगा।

19- *vkpj.k lfgrk %&*

- (i) शिक्षक के द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना।
- (ii) समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना।
- (iii) बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना।
- (iv) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निजी व्यापार में संलग्न नहीं होना।
- (v) किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना।
- (vi) सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल-विवाह एवं दहेज-प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना।
- (vii) विद्यालय प्रबंधन समिति, नियुक्ति प्राधिकार, जिला पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करना।
- (viii) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करना।
- (ix) किसी भी राजनीतिक दल का अथवा राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य होना, न अन्यथा रूप से उससे सहयुक्त होना।

20- *vu'kk lfud dkjokb A&*कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखने, निर्धारित आचरण संहिता का निर्वहन नहीं करने एवं छात्र हित/विद्यालय हित के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में संबंधित शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधान अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार सक्षम होंगे।

उन्हें किसी मामले में जेल में होने अथवा सरकारी राशि के गबन के प्रथम दृष्टया साबित होने/अनधिकृत अनुपस्थिति/उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का मामला प्रथम दृष्टया साबित होने पर, संबंधित को नगर निकाय के सदस्य सचिव द्वारा निलम्बित किया जा सकता है। निलम्बन अथवा विभागीय कार्यवाही संचालित करने की दशा में आरोप पत्र गठित कर जाँच पदाधिकारी से जाँच कराई जायेगी। संबंधित के विरुद्ध समुचित एवं यथेष्ट कारण होने की स्थिति में निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा :-

%d% y?k nM-(i) निन्दन

(ii) वेतनवृद्धि पर रोक (असंचयात्मक/संचयात्मक)

- 4[kh] ogr nM& (i) प्रोन्नति पर रोक
(ii) निम्न पद पर अवनति
(iii) निम्न वेतन स्तर पर अवनति।
(iv) सेवाच्युति जो किसी भावी नियुक्ति/नियोजन हेतु निर्हरता नहीं होगी।

- (ii) लघु दण्ड देने के पूर्व संबंधित सदस्य सचिव द्वारा स्पष्टीकरण का एक अवसर संबंधित को देना आवश्यक होगा। लघु दण्ड के संसूचन के पूर्व इसपर अध्यक्ष, नियोजन इकाई की सहमति आवश्यक होगी। वृहत दण्ड देने के पूर्व संबंधित सदस्य सचिव द्वारा संबंधित को कम-से-कम दो अवसर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु देना आवश्यक होगा। वृहत दण्ड के संसूचन के पूर्व इसपर अनुशासनिक प्राधिकार की सहमति आवश्यक होगी।
(iii) निलम्बन अवधि में मूल वेतन का 50% राशि जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में देय होगी।
(iv) दंड सम्बन्धी आदेश संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत होगा। आदेश में उन तथ्यों का पूर्ण ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा, जिसके कारण संबंधित को प्रासंगिक दंड के योग्य पाया गया है।
(v) जिला प्रशासन अथवा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी प्रधान अध्यापक, शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष को विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित पाये जाने पर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण असंतोषप्रद होने पर संबंधित प्रधान अध्यापक, शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुपस्थित अवधि का वेतन काटने का निदेश "No work no pay" के सिद्धांत पर दिया जा सकेगा।

21- fu;ktu bdkb ij dkjokb :-

- (i) बिना किसी उचित कारण के प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तथा निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार, नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करना उनके संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन माना जायेगा और इसके लिए उत्तरदायी पदाधिकारी तथा संबंधित निकाय के प्रतिनिधि के विरुद्ध बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 के सुसंगत धाराओं के अधीन आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
(ii) प्रधान अध्यापक, शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष के संबंध में जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर प्राप्त शिकायत की जाँच कराने पर यदि शिकायत सही पाई जाती है और संबंधित प्रधान अध्यापक, शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष पर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती हो, तो नियोजन इकाई द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 60 दिनों के अन्दर अपेक्षित अनुशासनिक कार्रवाई करना आवश्यक होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा नगर विकास एवं आवास विभाग से की जायेगी, जिस पर संबंधित विभाग के स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

22- f'kdk;r ,o vihy A&इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत/अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत प्रधान अध्यापक/शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति जिला स्तर पर गठित "जिला अपीलीय प्राधिकार" की होगी। जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्णय पर अपील सुनने हेतु राज्य स्तर पर गठित "राज्य अपीलीय प्राधिकार" सक्षम होगा।

23- i:dh.k %&

- (i) प्रशासी विभाग इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी।
(ii) इस नियमावली का प्रभाव पूर्व की नियमावलियों द्वारा नियुक्त राजकीय, राजकीयकृत (प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय सहित) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जिला/प्रमण्डल संवर्ग के शिक्षकों एवं राज्य संवर्ग के प्रधानाध्यापकों के वेतन एवं सेवा शर्त पर नहीं होगा।
(iii) राज्य सरकार विषयवार शिक्षकों के नियोजन हेतु निर्दिष्ट विषय एवं विभिन्न अर्हताओं के समतुल्य डिग्री/उपाधि निर्धारित कर सकेगी।

24- fuj lu ,o 0;koflk %&

- (i) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से नगर निकाय के कार्यक्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त से संबंधित बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 एवं संशोधित नियमावली 2008, 2009, 2012, 2014, 2015 एवं 2017 निरसित मानी जाएगी। परन्तु इस निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व तत्कालीन प्रवृत्त नियमावली के अधीन

- किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी मानों वे सभी इस नियमावली के अधीन किये गए हों।
- (ii) पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएँ, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निदेश, जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, वह स्वतः इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे।

fcgkj&jkT;iky d| vkn'k l|
vkj@dE egkt u]
vij e[; lfpoA

Education Department

Notification

The 20th August 2020

No. 11/Rule-01-01/2020-1111—In exercise of power conferred under Section 243 Ba (12th Schedule) of the Constitution of India and Section 45, 47(4) and 419 of the Bihar Municipal Act, 2007 the Governor of Bihar hereby makes the following Rules for appointment/promotion and service conditions of Teacher/ Librarian/Head Master working in Government, Nationalized, Project Girls and upgraded secondary/Senior secondary schools situated in urban area:-

1. Preamble.—The State Government is resolute for the expansion and strengthening of the Secondary and Senior Secondary Schools in the State. For this, the Government has resolved in the year 2006, in the light of the 73rd and 74th Amendment of the Constitution of India, to decentralize the appointment of teachers of the Secondary and Senior Secondary Schools, consequently has entrusted the responsibility of appointment/promotion of teachers and Librarian working in secondary/Senior secondary schools situated in rural areas to Municipal Corporation. Therefore, in order to achieve the objective of improving the appointment procedure and service conditions of teachers and librarians, these rules are being framed.

2. Short Title, Extend and Commencement:-

- These Rules shall be called the “Bihar Municipal Body Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceeding and Service Conditions) Rules, 2020”.
- It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- It shall come into force from the date of issue of notification.

3. Definitions.—*In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-*

- “**Government**” means Bihar Government;
- “**Administrative Department**” means the Education Department;
- “**Secondary Schools**” means, Government/Nationalized/Project Girls Secondary/ Upgraded Secondary Schools imparting education up to Class 10.
- “**Senior Secondary Schools**” means, Government/Nationalized/ Project Girls Senior Secondary/Upgraded Senior Secondary Schools imparting education up to Class 12.
- “**Municipal Body**” means, Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat constituted under Bihar Municipal Act, 2007 for urban areas.

- (vi) **“Cadre”** means, Cadre of Teacher and Head Master, appointed under the jurisdiction of Municipal Body as per the provision of this Rule.
- (vii) **“Appointing Authority”** means, the Committee constituted for preparation of panel under this Rule, competent to directly appoint/promote teacher, Librarian and Head Master.
- (viii) **“Disciplinary Authority”** means, the committee, constituted to appoint/promote teacher, Librarian and Head Master under this Rule, which is competent to conduct disciplinary proceeding against them.
- (ix) **“Appellate Authority”** means, ‘District Appellate Authority’ constituted at the district level, to decide complaint/appeal regarding matters related with appointment of Head Master/Teacher/ Librarian and matters related with their service conditions, after hearing the parties and ‘State Appellate Authority’ constituted at the State level to hear appeal against the order passed by the ‘District Appellate Authority’.
- (x) **“Teacher”** means,
 - (a) Municipal Secondary Teacher, appointed under this Rule for imparting education up to Class-10;
 - (b) Municipal Senior Secondary Teacher, appointed under this Rule for imparting education up to Class-12;
- (xi) **“Librarian”** means, Librarian appointed under this Rule for management and maintenance of the books in the Library situated at Secondary School and Senior Secondary School governed under this Rule.
- (xii) **“Head Master”** means, Head Master appointed in the Senior Secondary school governed under this Rule.
- (xiii) **“Non-teaching employee”** means, the non-teaching employees appointed in Secondary Schools and Senior Secondary schools by the Municipal Body under different provisions of the State Government, who are not engaged in teaching work.
- (xiv) **“University”** means, university constituted under Statute or university, recognized by University Grant Commission.
- (xv) **“National Council for Teacher Education”** means Council, regulating the teaching and training arrangements at the national level.
- (xvi) **“Teacher Eligibility Test”** means, eligibility test conducted for concerned candidates with respect to the appointment on the post of teachers through direct recruitment process under this Rule.
- (xvii) **“Librarian Eligibility Test”** means, eligibility test conducted for concerned candidates with respect to the appointment on the post of librarian through direct recruitment process under this Rule.
- (xviii) **“Teacher Training”** means, B.Ed/ B.A. Ed/ B.Sc Ed degree from any training institution recognized either by Central or any State Government before the enforcement of NCTE Act, 1993 or B.Ed/ B.A. Ed/ B.Sc Ed degree from any training institution recognized by NCTE after the enforcement of NCTE Act or B.Ed/ B.A. Ed/ B.Sc Ed degree from any training institution recognized by those State/ Union Territory where NCTE Act is not enforced.

4. Constitution of Cadre.—Following are the cadre constitution of appointed teachers under Municipal Body :-

- (i) Municipal Secondary Teacher;
- (ii) Municipal Senior Secondary Teacher;
- (iii) Head Master

5. Direct appointment shall be made to all the post of Municipal Secondary Teacher.

The minimum education qualification for direct recruitment on the post of Municipal Secondary Teacher, shall be as follows:-

- (i) Should be citizen of India and a resident of Bihar State.
- (ii) (a) Must be graduate/post graduate from recognized university with at least 50% marks in specified subject group. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities/ women and Economically Weaker Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks. The degree of 'Alim' and the degree of 'Shashtri' granted from the Bihar State Madarsa Education Board/ Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, Patna and Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University respectively shall be treated as equivalent to the graduation.

With, graduation in Education (B.Ed) from any training institution recognized by NCTE.

Or

Graduate/Post Graduate from recognized university with at least 45% marks in Graduation or Post Graduation in accordance with the National Council for Teacher Education)Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002 notified on 13.11.2002 and National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007 notified on 10.12.2007. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities/ women and Economically Weaker Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks. The degree of 'Alim' and the degree of 'Shashtri' granted from the Bihar State Madarsa Education Board/ Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, Patna and Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University respectively shall be treated as equivalent to the graduation.

With, graduation in Education (B.Ed) from any training institution recognized by NCTE.

Or

4 years degree of B.A. Ed/ B.Sc Ed from any training institution recognized by NCTE.

- (b) **Qualification for the post of Physical Education Teachers:-**

Bachelor's degree with Physical Education as an optional subject with 50% marks. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities/ women

and Economically Weaker Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks.

Or

Bachelor's degree with Physical Education as an optional subject with 45% marks and participation in national or State or Inter-University competitions in sports or games or athletics recognized by Association of Indian University or Indian Olympic Association. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities/ women and Economically Weaker Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks.

Or

Bachelor's degree with 45% marks and having participated in National or State or Inter-University sports or games or athletics. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities/ women and Economically Weaker Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks.

Or

For deputed in-service candidates (i.e. trained Physical Education Teachers/Coaches)—Graduation with 45% marks. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities/ women and Economically Weaker Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks. With at least 3 years of teaching experience as per National Council for Teacher Education (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2009.

Or

Graduate in Physical Education with 45% marks. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities/ women and Economically Weaker Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks.

Or

Graduate with Physical Education as an optional subject with 40% marks. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities/ women and Economically Weaker Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks.

Or

Graduate who participated school, inter-Collegiate in sports/games or passed NCC 'C' Certificate in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007 notified on 10.12.2007.

Or

Graduate in Physical Education i.e. B.P.Ed course (or its equivalent) of 3 years duration.

Or

Graduate having represented State/University in sports/athletics.

Or

Graduate who has secured 1st, 2nd or 3rd position in Inter-Collegiate sports/games/ tournaments possessing NCC 'C' Certificate or passed basic course in Adventure Sports.

Or

Graduate with one year programme in Sports, Science, Sports Management, Sports Coaching, Yoga, Olympic Education, Sports Journalism etc. (in accordance with the National Council for Teacher Education (Form of application for recognizing, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course for training) Regulations, 2002 notified on 13.11.2002.

Or

Bachelor of Physical Education (B.P. Ed.) of at least one year duration (or its equivalent) from any National Council for Teacher Education recognized institution.

(c) ***Qualification for the post of Oriental Teachers :-***

(i) Graduate (or its equivalent) in Sanskrit/Farsi/Arabic from recognized university or recognized Board/Samiti with at least 45% marks. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities/ women and Economically Weaker Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks.

(ii) Graduate in Education (B.Ed) from any training institution recognized by NCTE.

(d) ***Qualification for the post of Music/Fine Arts.—***Graduate (or its equivalent) in Music/Fine Arts from recognized university or recognized Board/Institute with at least 45% marks. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities/ women and Economically Weaker Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks.

(iii) Qualified in the 'Teacher Eligibility Test' conducted by the Bihar Government.

(iv) ***Age.—***The minimum age for employment shall be 21 years on 1st of August of the appointing year and the maximum age for each category shall be the same as notified by the State Government (General Administration Department) from time to time. The relaxation in the maximum age shall be determined by the Administrative Department after getting the approval from the General Administration Department.

6. Direct appointment shall be made to all the post of Municipal Librarian.—

The minimum education qualification for direct recruitment on the post of Municipal Librarian, shall be as follows:-

- (i) Should be citizen of India and a resident of Bihar State.
- (ii) Graduate from recognized university with at least 45% marks. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities/ women and Economically Weaker Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks.

The degree of 'Alim' and the degree of 'Shashtri' granted from the Bihar State Madarsa Education Board/ Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, Patna and Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University respectively shall be treated as equivalent to the graduation.

- (iii) Graduate in Library Science from recognized university.
- (iv) Qualified in Librarian Eligibility Test conducted by the State Government.
- (v) **Age.**—The minimum age for employment as Librarian shall be 21 years on 1st of August of the appointing year and the maximum age for each category shall be the same as notified by the State Government (General Administration Department) from time to time. The other relaxation in the maximum age shall be determined by the Administrative Department after getting the approval from the General Administration Department.

7. Fifty Percent (50%) posts in the grade of Municipal Senior Secondary Teachers shall be filled by promotion whereas rest 50% shall be filled by direct recruitment.

(a) ***The minimum education qualification for direct recruitment on the post of Municipal Senior Secondary Teacher, shall be as follows:-***

- (i) Should be citizen of India and a resident of Bihar State.
- (ii) (a) Must be post graduate from recognized university with at least 50% marks in specified subject. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities/ women and Economically Weaker Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks. The degree of 'Alim' and the degree of 'Shashtri' granted from the Bihar State Madarsa Education Board/ Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, Patna and Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University respectively shall be treated as equivalent to the graduation. With, graduation in Education (B.Ed/ B.A. Ed/ B.Sc Ed) from any training institution recognized by NCTE.

Or

Post Graduate with at least 45% marks from recognized university in accordance with the National Council for Teacher Education (form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002, notified on 13.11.2002 and National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007 notified on 10.12.2007. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities/ women and Economically Weaker Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks. The degree of 'Alim' and the degree of 'Shashtri' granted from the Bihar State Madarsa Education Board/ Maulana Mazharul Haque

Arabic & Persian University, Patna and Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University respectively shall be treated as equivalent to the graduation. With, graduation in Education (B.Ed/ B.A. Ed/ B.Sc Ed) from any training institution recognized by NCTE.

- (b) It shall be essential to have Post Graduate (or its equivalent) degree in the specified subject for appointment on the post of Computer Teacher and Music Teacher. It shall not be necessary to have B.Ed/ B.A. Ed/ B.Sc Ed degree for appointment in these posts.
 - (c) Teacher of Agriculture Subject:- The posts of Agriculture subject has been created in marked Senior Secondary Schools (for students of 11th and 12th). It shall be essential to have graduate degree in Agriculture/Horticulture and Post graduate in any of the following subjects: Agronomy/Plant Breeding & Genetics/Entomology/Plant Pathology/Seed Science & Technology/Soil Science/Horticulture. It shall not be necessary to have B.Ed/ B.A. Ed/ B.Sc Ed degree for appointment in these posts.
 - (iii) Qualified in Teacher Eligibility Test conducted by the State Government.
 - (vi) **Age.**—The minimum age for employment as Librarian shall be 21 years on 1st of August of the appointing year and the maximum age for each category shall be the same as notified by the State Government (General Administration Department) from time to time. The other relaxation in the maximum age shall be determined by the Administrative Department after getting the approval from the General Administration Department.
- (2) ***The minimum education qualification for being eligible for consideration of promotion on the rest 50% post of Municipal Senior Secondary Teacher, shall be as follows:-***
- (i) Minimum 04 years of continuous service from the date of joining on the post of Municipal Secondary Teacher or from the date of acquiring of training qualification (B.Ed/ B.A. Ed/ B.Sc Ed), whichever is later.
 - (ii) Post Graduate in one of the subject from the subject group in which graduation has been done with at least 45% marks from recognized university. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities & women, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks.
 - (iii) Qualified in Assessment(Efficiency Test)/Teacher Eligibility Test.
 - (iv) As directed Cleanliness Certificate of three years prior to the year of promotion.

8. All posts of Head Master shall be filled by promotion, for which following qualification shall be necessary:-

- (i) Minimum 10 years of continuous service from the date of joining on the post of Municipal Secondary Teacher or from the date of acquiring of training qualification (B.Ed/ B.A. Ed/ B.Sc Ed), whichever is later.

Or

Minimum 06 years of continuous service from the date of joining on the post of Municipal Senior Secondary Teacher or from the date of acquiring of training qualification (B.Ed/ B.A. Ed/ B.Sc Ed), whichever is later.

- (ii) Post Graduate with at least 45% marks from recognized university. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/ Backward Class/Persons with Disabilities & women , 5% relaxation shall be given in the minimum required marks.
- (iii) Qualified in Assessment (Efficiency Test)/Teacher Eligibility Test.
- (iv) As directed. Cleanliness Certificate of three years prior to the year of promotion.

9. Reservation:-

- (i) The rules of reservation applicable in the direct recruitment under State Government by the General Administration Department shall be applicable in the direct recruitment under Municipal Body. Similarly, the rules of reservation applicable in the promotion under the State Government shall be applicable in the promotion under Municipal Body.
- (ii) (a) The appointment of Municipal Secondary/ Municipal Senior Secondary Teacher shall be made as per the district level subject wise roster of reservation.
- (b) The appointment of Municipal Librarian shall be made as per district level roster of reservation.
- (iii) The concerned Regional Deputy Director of Education shall clear the roster of reservation in connection with Municipal Secondary/Senior Secondary Teacher and Librarian.
- (iv) Similarly, the concerned Regional Deputy Director of Education shall clear the roster point of reservation in connection with promotional post.

10. Procedure of Appointment:-

- (i) The State Government, through District Education Officer shall communicate the number of vacancies in the direct recruitment on the post of Municipal Secondary Teacher/Senior Secondary Teacher/ Librarian.
- (ii) As per schedule, fixed by the State Government, the concerned "Municipal Body" shall publish subject wise, category wise vacant posts of Teachers and Librarian in Government, Nationalized, Project Girls and upgraded secondary/Senior secondary schools situated under the jurisdiction of the concerned "Municipal Body" i.e. Nagar Panchayat/Municipal Council/ Municipal Corporation through the member secretary of the concerned Municipal Body for a minimum of 30 (Thirty) days. A copy of the said notice shall also be displayed on the notice board of the office of the concerned District Education Officer.
- (iii) The eligible candidate shall submit the application in prescribed performa, as made available from time to time, in the office of the member secretary of the concerned Municipal Body either through hand to hand or through speed post/registered post.
- (iv) The appointment of the Municipal Secondary Teacher shall be on the basis of a panel. Panel shall be prepared subject wise, whose validity

shall be one year from the date of publication of last panel. The panel shall be prepared on the basis of merit point in descending order. The calculation of merit point shall be done in the following manner:-

Merit Point:	Percentage of marks obtained in all subjects at the graduation level	+	Percentage of marks obtained in all subjects at the B.Ed level
	2		

In those subjects, where it is not necessary to have B.Ed, the merit point shall be Percentage of marks obtained in all subjects at the graduation level. Besides having qualification of B.A. Ed/ B.Sc Ed, the merit point shall be Percentage of marks obtained in all subjects at the B.A. Ed/ B.Sc Ed level.

The widow of former servicemen shall be given additional weightage of 10 marks in the merit point. Similarly, 05 marks of additional weightage shall be given to those guest teachers who imparted education in Senior secondary schools for minimum of one year.

In case of obtaining similar marks, the name of the candidate whose date of birth falls earlier shall be placed above the panel. In case of similar marks and date of births, the place shall be decided on the basis of name of the candidate as per English dictionary, i.e. the name of the candidate falls earlier, as per English dictionary, shall be place above the panel. In case of similarity in this too, the place in the panel shall be determined on the basis of draw of lots.

- (v) The appointment of the Municipal Senior Secondary Teacher shall be on the basis of a panel. Panel shall be prepared subject wise, whose validity shall be one year from the date of publication of last panel. The panel shall be prepared on the basis of merit point in descending order. The calculation of merit point shall be done in the following manner:-

Calculation of merit point shall be done in the following manner:			
Merit Point:	Percentage of marks obtained in all subjects at the post-graduation level	+	Percentage of marks obtained in all subjects at the B.Ed/ B.A. Ed/ B.Sc Ed level
	2		

In those subjects, where it is not necessary to have B.Ed, the merit point shall be Percentage of marks obtained in all subjects at the Post-graduation level.

The widow of former servicemen shall be given additional weightage of 10 marks in the merit point. Similarly, 05 marks of additional weightage shall be given to those guest teachers who imparted education in Senior secondary schools for minimum of one year.

In case of obtaining similar marks, the name of the candidate whose date of birth falls earlier shall be placed above the panel. In case of similar marks and date of births, the place shall be decided on the basis of name of the candidate as per English dictionary, i.e. the name of the candidate falls earlier, as per English dictionary, shall be place

above the panel. In case of similarity in this too, the place in the panel shall be determined on the basis of draw of lots.

- (vi) The appointment of the Municipal Librarian shall be on the basis of a panel. Panel shall be prepared subject wise, whose validity shall be one year from the date of publication of last panel. The panel shall be prepared on the basis of merit point in descending order. The calculation of merit point shall be done in the following manner:-

Merit Point:	Percentage of marks obtained in all subjects at the graduation level	+	Percentage of marks obtained in all subjects at the B.Lib level
	2		

The widow of former servicemen shall be given additional weightage of 10 marks in the merit point.

In case of obtaining similar marks, the name of the candidate whose date of birth falls earlier shall be placed above the panel. In case of similar marks and date of births, the place shall be decided on the basis of name of the candidate as per English dictionary, i.e. the name of the candidate falls earlier, as per English dictionary, shall be place above the panel. In case of similarity in this too, the place in the panel shall be determined on the basis of draw of lots.

- (vii) ***Constitution of Committee for the preparation of Panel:-***

The following committee shall prepare the panel on the basis of received applications:

Committee for the Nagar Panchayat/Municipal Council :-

a	Chief Councilor Nagar Panchayat/Municipal Council	President
b	One selected Member of Education Committee of Nagar Panchayat/Municipal Council (In case of male president, the selected member shall be female)	Member
c	Executive Officer, Nagar Panchayat/Municipal Council	Member Secretary
d	District Level Officer of Education Department nominated by the District Education Officer of the concerned district	Member

If any member of Schedules Caste/Scheduled Tribe are not there in the aforesaid committee, then the District Magistrate shall nominate an officer belonging to Scheduled caste/Scheduled Tribe category.

The tenure of the member selected by the Education Committee of the Nagar Panchayat/Municipal Council shall be of one year.

Note:- In case of non-constitution of the Education Committee of Nagar Panchayat/Municipal Council, one officer of the sub divisional level shall be nominated by the concerned Executive Officer, to be a member.

Committee for the Municipal Corporation:-

a	Mayor of the Municipal Corporation	President
b	One selected Member of Education Committee of Municipal Corporation (In case of male president, the selected member shall be female)	Member
c	Municipal Commissioner of Municipal Corporation	Member Secretary
d	District Level Officer of Education Department nominated by the District Education Officer of the concerned district	Member

If any member of Schedules Caste/Scheduled Tribe are not there in the aforesaid committee, then the District Magistrate shall nominate an officer belonging to Scheduled caste/Scheduled Tribe category.

The tenure of the member selected by the Education Committee of the Municipal Corporation shall be of one year.

Note:- In case of non-constitution of the Education Committee of Municipal Corporation, one officer of the district level shall be nominated by the concerned Municipal Commissioner, to be a member.

- (viii) The panel shall be prepared jointly by the Secretary and nominated officer by the concerned District Education Officer of the Panel Preparation Committee. The Secretary of the Panel Preparation Committee shall be responsible for this purpose. The Secretary of the Panel Preparation Committee shall fix the date and place for preparation of the panel and shall take necessary help from the members. Each page of the panel shall be signed by each of the aforesaid two members. The Member Secretary shall publish the panel provisionally after getting the approval from the President of the Panel Preparation Committee. In case of non-availability of the Mayor/Chief Councilor either when the post of Mayor/Chief Councilor is vacant or he is out of headquarter, the panel shall be published provisionally after taken approval from the Deputy Mayor/ Deputy Chief Councilor, who would be in charge of the Mayor/Chief Councilor.
- (ix) Fifteen days' time shall be allowed for raising any objections, if any. After the rectification of the received objections, the panel shall be finalized. The finalized panel shall be approved by the Panel Preparation Committee on the basis of majority. In case of non-availability of the Mayor/Chief Councilor either when the post of Mayor/Chief Councilor is vacant or he is out of headquarter, the panel shall be published provisionally after taken approval from the Deputy Mayor/ Deputy Chief Councilor, who would be in charge of the Mayor/Chief Councilor.
- (x) The selection list shall be prepared on the basis of approved final panel and roster point by the member secretary. In the selection list, maximum five times candidates may be included category wise. The candidates included in the selection list shall be called on the fixed date, time and place with their original certificates for verification of certificates. The selected candidates shall be allotted schools on the basis of Merit-cum-choice through counseling. In this, priority shall be given

to Handicapped and women candidates. Consent shall be taken from the interested candidate for appointment. The claim of appointment of any selected candidate shall be cancelled automatically, in case of absence without any information.

- (xi) The appointment letter (with the photograph of the candidate) of selected candidate shall be issued by the member secretary after obtaining concurrence of the panel preparation committee, as per the number of vacancies mentioned in the advertisement. The Education Department shall issue necessary guide lines so that the selected candidate may get the appointment letter in time. It shall be essential to join the school by the concerned candidate within 21 days from the date of issuance of the appointment letter otherwise his/her appointment may be terminated. The member secretary shall make available the list of the final selected list to the District Education Officer and office of the District Appellate Authority.
- (xii) The Head Master of the concerned school shall accept the joining only after verification of the appointment letter from the concerned recruitment unit.
- (xiii) It would be necessary to submit the health certificate issued by the Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer and Character / Antecedent Certificate from the competent Police Officer of the concerned district at the time of joining by a candidate.
- (xiv) The administrative department will issue necessary guidelines regarding giving opportunity to the other candidates in the panel in case appointment is not made as per the advertised vacancy.
- (xv) The administrative department shall make changes in the aforesaid selection process by preparing a web portal (software), in order to make the selection process more congenial to the candidates, without interfering into the autonomy of the recruitment unit.

11. Verification of Certificates.—It would be the responsibility of the Municipal Commissioner/Executive Officer of the concerned Municipal Body to do the necessary verification of the certificate of qualification along with other certificates. On finding the certificates forged or fake, legal action shall be taken after terminating the employment and recovery of the payment made.

12. Service Conditions.—

- (i) The Head master, Teacher, Librarian may remain in service up to 60 years of age.
- (ii) The first two years of the service shall be of probation. During this period, in case of not following the prescribed code of conduct, the disciplinary authority may terminate the service after giving an opportunity of only one show cause.
- (iii) The State Government shall give grants in aid for payment of salary etc. to the Head master, Teacher, Librarian till the respective Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat became competent to pay the same.
- (iv) The Head master, Teacher, Librarian shall be covered under EPF scheme prospectively as embodied in 'Employees Provident Fund and

Miscellaneous Provisions Act, 1952". The State Government shall make the contribution on the monthly emoluments of Rs. 15000/-.

- (v) The Head master, Teacher, Librarian will be paid salary (with increment), as fixed from time to time. Those teachers, who has not qualified in the teacher eligibility test, shall be entitled for increment only after being qualified in Assessment (Efficiency Test) under the previous rules. Therefore, for yearly increment, it shall be necessary to qualify teacher eligibility test or Assessment (Efficiency Test). The allotment of grants in aid for payment of salary etc. shall be made by the Administrative Department after following the process for the same.
- (vi) The inter-se seniority of the teachers shall be determined by the concerned member secretary of the recruitment unit as per the criteria prescribed by the Administration Department.
- (vii) **Continuity in Service.**—Working Secondary Teacher, in case of appointment on Senior Secondary Teacher either in his appointing unit or other appointing unit, shall get the benefit of pay protection only, after granting the continuity of his service. This benefit shall be applicable to teachers appointed after notification of this rule. In this regard, the Administrative Department will issue detailed guide lines separately.

13. Leave with Pay for getting the qualification of B.Ed:—Untrained teachers working under Municipal Body before the notification of this Rule will be granted leave with pay for taking training in B.Ed for two years only from the date of notification of this Rule. Those untrained teachers who are enrolled as B.Ed apprentice in the training institutes, determined by the Education Department, will also be given leave with pay. This leave, shall be sanctioned by the member secretary of the concerned Municipal Body with the condition that he/she will impart education for a minimum of five years after completion of the training (B.Ed). In case of leaving the service before completion of the said fixed period, he/she shall have to deposit the salary etc received during the training period to the government treasury. The concerned teacher shall have to furnish bond to this effect. The recoverable amount will be recovered under public demand recovery act.

14. Promotion.—A panel shall be prepared for promotion on the post of Municipal Senior Secondary Teacher and Head Master. For this the committee constituted for appointment shall be competent authority. The Administrative Department will issue detailed guide lines in connection with promotion.

15. Appointment on the basis of compassionate ground.—An eligible dependent of teacher/head master/clerk/peon working from earlier in District/Division/State Cadre in secondary/Senior secondary schools, teacher/librarian appointed under Municipal Body and Secondary/Senior Secondary teacher, Head Master, Librarian appointed/promoted under this Rule, may be appointed against the available vacancy of basic grade of Elementary Teacher under jurisdiction of concerned Municipal Body, on compassionate ground by the recruitment unit concerned. For this the concerned dependent shall have to furnish their consent. The appointment on compassionate ground shall be made by the recruitment unit, as per the provisions issued by the General Administration Department related with compassionate appointment. Apart from this, the Administrative Department may issue resolution in connection with appointment on compassionate ground.

16. Transfer.—The posts of Head Master, Teacher, Librarian generally are not transferrable, however with following exceptions:

- (i) During the service period, the Head master, Teacher and Librarian may avail two optional transfers after completing three years of service, in his cadre/subject within the schools situated under the jurisdiction of his/her recruitment unit. There shall be difference of minimum five years in between the two optional transfers. If more than one application is received for one vacant post, then the Member Secretary of concerned recruitment unit shall take steps for transfer on the basis of inter se seniority and giving preference to handicapped head master, librarian, teacher and women head master, teacher and librarian. The approval of this action shall be given by the President of the committee constituted for the purpose of appointment.
- (ii) The Member Secretary of the concerned recruitment unit shall adjust the teacher in other school situated under the recruitment unit on the basis of the report submitted by the District level officer of the Education Department, in order to remove the subject anomalies and to bring rationality in the standard ratio of teacher. The confirmation of this process shall be done by the President of the committee, constituted for appointment.
- (iii) In case of proved financial irregularities, moral turpitude or other serious charges, the Member secretary of the concerned recruitment unit shall transfer head master/teacher/librarian, for one time, on administrative ground in the interest of school and students. The approval of this action shall be given by the President of the committee constituted for the purpose of appointment.
- (iv) Handicapped Teacher/Librarian and Woman Teacher/Librarian may avail optional transfer for one time only against available vacancy of the corresponding post at schools situated in inter appointing unit, including inter district. Besides, male teachers/librarians may also avail mutual inter appointing unit (including inter district) transfer for one time only. In this regard, the Administrative Department will issue detailed guide line keeping in mind the reservation category, seniority etc.

17. Maintenance of Service Book.—The Administrative Department will issue detailed guidelines with respect to maintenance of service book of secondary teacher, Senior secondary teacher, head master and librarian.

18. Leave:-

- (1) **Municipal Secondary/Senior Secondary Teacher, Librarian and Head master shall be eligible for the following kinds of leave:-**
 - (i) **Casual Leave:-** Casual leave upto 16 (Sixteen) days during the calendar year. This leave (along with other leave) cannot be granted for more than 10 days at a time.
 - (ii) **Special Leave:-** Special leave upto two days in each month to women head master, women teacher and women librarian.
 - (iii) **Maternity Leave:-** Women head master, women teacher and women librarian shall be entitled to Maternity leave upto 180 days. The benefit of maternity leave shall be restricted with first two children.

- (iv) **Paternity Leave:-** Male head master, teacher, librarian shall be entitled to Paternity leave upto 15 days. The benefit of paternity leave shall be restricted with first two children.
- (v) **Medical Leave:-** Medical leave upto 20 (twenty) days during the calendar year on the basis of the medical certificate. It will be accumulated upto maximum 120 days, during the whole service period. Out of which only upto 90 days of medical leave may be availed at a time during any calendar year. It can be prefixed of suffixed with casual leave.
- (vi) **Earned Leave:-** Earned leave upto 11 days during the calendar year, after serving first two years in the service, which will be accumulated upto maximum 120 days. Accumulated earned leave of more than 120 days expired automatically. The Head master is also entitled for this leave.
- (vii) **Study Leave:-** Maximum three years of study leave without salary is permissible to teacher and librarian. The period of this leave will not be treated as breakage in service.

This leave is permissible only after completing of minimum three years of service from the date of joining. Besides, after availing study leave, the concerned teacher/librarian shall have to work for a fixed period. The Head master is also entitled for this leave. In this regard, the Administrative Department will issue a detailed guide lines separately.

- (viii) **Extraordinary Leave:-** Apart from the aforesaid leaves, extraordinary leave without pay upto 30 days during the calendar year is permissible for any reason. This leave shall not be treated as breakage in service, thereafter the period of absence shall be treated as breakage in service. The service shall be terminated after absence of maximum five years. For this the concerned shall be given an opportunity by issuing a show cause and the process of termination from service shall be conducted by the committee constituted under Rule-10(vi).
- (2) **Grant of Leave.—**All the aforesaid leave except Casual Leave and Special Leave shall be granted by the member secretary of the concerned recruitment unit on the recommendation made by the concerned head master/in charge head master. The casual leave and special leave shall be granted by the head master/ in charge headmaster of the concerned school. The casual leave and special leave of head master/in charge head master of this cadre shall be granted by the member secretary of the concerned recruitment unit. The leave account of the teacher/librarian shall also be maintained properly along with their service book.

19. Code of Conduct:-

- (i) Completion of the syllabus, as prescribed in easy and accessible manner by the Teacher.
- (ii) Attend school on time and conduct the class as per prescribed routine.
- (iii) Not to mentally and physically harass children by ensuring protection of child rights.
- (iv) Not to be involved in private business either directly or indirectly.

- (v) Not to take any type of intoxication.
- (vi) Play an active role in eradicating social evils like child marriage and dowry system.
- (vii) To follow instructions/directions given from time to time by the School Management Committee, Appointing Authority, District Magistrate and district level officers of Education Department.
- (viii) To follow instructions/directions given by the Bihar School Examination Board from time to time in order to successfully conduct the annual secondary and Senior secondary examination.
- (ix) Neither be a member of a political party or such organizations who take part in politics nor associated with such organization.

20. Disciplinary Actions.—The disciplinary authority shall be competent to initiate disciplinary action against teacher, Librarian and Head Master with respect to not having allegiance with the duty, not following the laid down code of conduct and working against the interest of the student, interest of the school.

The member secretary of the municipal body may suspend them in the case where the concerned is jailed or found prima facie involved in misappropriation of government money/unauthorized absence/disregard the order of senior officers. In the case of suspension or initiation of departmental proceeding, enquiry shall be made by the enquiry officer after framing of charges. The following penalties may, for good and sufficient reason, be imposed on the concerned:-

- (a) **Minor Penalties:-**
 - (i) Censure;
 - (ii) withholding of increment (Non-cumulative/ cumulative)
- (b) **Major Penalties:-**
 - (i) withholding of promotion
 - (ii) reduction in lower post
 - (iii) reduction in lower scale of pay
 - (iv) removal from service which shall not be a disqualification for future appointment /selection.
- (ii) It would be necessary to issue a show cause to the concerned before imposing minor punishment by the concerned member secretary. Before imposing minor punishment, it must be approved by the President of the recruitment unit. Before imposing major punishment, the concerned member secretary must give at least two opportunities to the concerned for submitting show cause reply. Before imposing major punishment, the same must be approved by the disciplinary authority.
- (iii) During suspension, the concerned is entitled to receive a subsistence allowance an amount equal to the 50% of the basic pay.
- (iv) The order of punishment shall be issued under the signature of the member secretary of the concerned recruitment unit. The order shall contain the details of facts which caused imposition of such punishment to the concerned.
- (v) A show cause will be asked from the Head master, teacher, librarian when they are found absent from duty unauthorisedly during inspection made by the district administration or officers of the Education Department. In case of clarification found to be unsatisfactory, an order

of cut in salary for the absence period may be issued from the concerned head master, teacher or librarian on the principal of 'no work no pay'.

21. Action against recruitment unit:-

- (i) In case where the recruitment unit failed to appoint teacher/librarian as per the fixed date and selection process without any valid and sufficient reason, it will be considered as violation of its constitutional obligation and for this the responsible officer and concerned Municipal Body will be proceeded against the suitable provisions of Bihar Municipal Act, 2007.
- (ii) If a complaint made against Head master, teacher or librarian at the District Magistrate or District Education Officer level is found to be true and a recommendation is made for initiation of disciplinary action against them, then the disciplinary action should be conducted within a maximum period of 60 days from the date of recommendation. Otherwise, a recommendation for taking action against the concerned disciplinary authority shall be made before the Urban Development & Housing Department, on which the concerned department shall take action expeditiously.

22. Complain and Appeal:-

The 'District Appellate Authority' constituted at the District level shall have the power to hear and decide a complaint/appeal related with appointment made under this rule and matters related with the service condition of Head master/teacher/librarian working under this Rule. The 'State Appellate Authority' shall be competent to hear appeal against the order passed by the District Appellate Authority.

23. Miscellaneous:-

- (i) The Administrative Department shall explain any of the provisions of these Rules and it may solve difficulty that may arise in enforcing it.
- (ii) These Rules shall not affect the salary and service conditions of the district/division cadre teachers of Government, Nationalized (including Project Girls Secondary School) Secondary and Senior Secondary and head master of State cadre appointed under the provisions of the previous Rules.
- (iii) The State Government shall determine the equivalence of the degree of specified subject and different qualification, the for the purpose of appointment of subject wise teachers.

24. Repeal & Saving:-

- (i) From the date of promulgation of these Rules, the Bihar Municipal Body Secondary and Senior Secondary Teacher (Appointment & Service Conditions) Rules 2006 and amended Rules 2008, 2009, 2012, 2014, 2015 and 2017, related with appointment and service conditions of secondary and Senior secondary teacher under the jurisdiction of a municipal body, shall be deemed to be repealed. However, even after this repeal, any work or any action that has been taken on the basis of the Government Resolutions, instructions, directions and Rules enforced prior to the date of enforcement of these Rules, shall be treated as the work or action that has been done under these Rules, as that have been done under these Rules.

- (ii) If any provision contained in the notifications, orders, circulars, letters etc. issued for implementation of previous Rules, is not in tune with the provisions of these Rules, shall be deemed to be amended as per the provisions of these Rules.

By the order of the Governor of Bihar,
R. K. Mahajan,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 934-571+3000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>